:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांकः सामान्य/क्रय/के.भ./02/2019–20/13293 दिनांकः 10-6-2019

: : ई–बोली सूचना : :

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए महानिदेशालय कारागार जयपुर के अधीन दस केन्द्रीय कारागृहों के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करने हेतु दर अनुबंध किये जाने के लिए ई–बोली आमंत्रित की जाती है।

ई–बोली दिनांक 11.06.2019 को सायंकाल 05.00 बजे से प्रारंभ की जाकर वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजो के साथ ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निम्न समय सारणी अनुसार वैबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जा सकती है:–

1.	बोली प्रस्तुत एवं डाउनलोड़ करने की प्रारम्भ दिनांक व समय	11.06.2019 को 5.00 PM से
2.	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	20.06.2019 को 5.00 PM तक
3.	बोली प्रतिभूति, बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के डीडी/बीसी जमा कराने की तिथि एवं समय	21.06.2019 को 1.00 PM तक
4.	तकनीकी बोली खोले जाने की दिनांक व समय	21.06.2019 को 2.00 PM
5.	निविदा खोलने का स्थान	महानिदेशालय कारागार, घाटगेट जयपुर

बोली प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 1000/– प्रति कारागृह/प्रति बोली एवं बोली प्रतिभूति राशि (अनुसूची ''ख'' अनुसार) तथा ई–बोली प्रक्रिया शुल्क के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट निर्धारित दिनांक व समय को महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर के कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा कराने होगें।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तें एवं अन्य विवरण बोली की वैबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वैबसाईट "home.rajasthan.gov.in" अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल वैबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देख सकते है।

महानिरीक्षक कारागार–I
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः सामान्य/क्रय/के.भं./02/2019–20/13294-313 दिनांकः 10-6-19

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव...।
3. नोटिस बोर्ड मुख्यालय/रेंज कार्यालय/मंड़ल कार्यालय (समस्त)।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर को दो प्रतियां विभागीय बैवसाईट पर अपलोड़ करने तथा समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राजस्थान को सूचनार्थ करने हेतु प्रेषित है।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि ई–बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43(6) में विहित प्रावधानानुसार 50,000 प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र तथा वृहत् परिचालन वाले एक अखिल भारतीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 10 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन करावें।
6. प्रभारी अधिकारी भण्डार एवं सदस्य सचिव, उपापन समिति को प्रेषित कर लेख है कि ई–बोली को एसपीपीपी एवं ई–प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक कारागार–I
राजस्थान जयपुर

–: बोली की मुख्य शर्ते :–

1. प्रत्येक बोली हेतु बोली प्रतिभूति राशि (अनुसूची ''ख'' अनुसार), बोली प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 1000/– प्रति बोली कारागृह/प्रति बोली व प्रोसेसिंग फीस पृथक–पृथक देय होगे एवं पृथक–पृथक ही बोली प्रस्तुत की जानी होगी।
2. ई–बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर'' के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में दी जायेगी।
3. ई–बोली के साथ राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड की बोली प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार प्रबंधक निदेशक आर.आई.एस.एल. के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अलग से दी जायेगी।
   1. यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख से कम है –रूपये 500/–प्रति बिडर प्रति बोली
   2. यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख से अधिक है–रूपये 1000/– प्रति बिडर प्रति बोली
4. निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के अलग–अलग बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को ऑन लाईन बोली के साथ स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित दिनांक को निर्धारित समय तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर भौतिक रूप से बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने होंगे। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग फीस के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटायी जावेगी।
5. क्वालिफाईंग (तकनीकी) बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की प्राईस बिड (वित्तीय बोली) क्वालीफाईड बिड खुलने की दिनांक से 5 कार्यालय दिवस में खोली जानी संभावित है। नवीनतम जानकारी के लिए उक्त वैबसाईट एवं राज्य सरकार के उपापन पोर्टल को देखा जा सकता है।
6. जो बोलीदाता ई–बोली (e-Tender) में भाग लेना चाहते है सर्वप्रथम उन्हें वैबसाईट पर http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। उसके पश्चात जो बोलीदाता ऑन लाईन बोली में भाग लेना चाहते है, उन्हें सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Act 2000) के तहत डिजीटल सर्टिफिकेट लेना होगा। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी. सी.ए. (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजीटल सर्टिफिकेट ले सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजीटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजीटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
7. जो बोलीदाता ई–बोली में भाग लेना चाहते है वे वांछित दस्तावेजों के साथ वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर ऑन लाईन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निर्धारित दिनांक एवं समय तक बोली प्रस्तुत कर सकते है।
8. बोली के साथ बोलीदाता को जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं बिक्रीकर बकाया न होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र (इस संबंध में बोली परिशिष्ट–स की शर्त संख्या 4(ii) देखें .... की प्रमाणित प्रति ई–बोली के साथ स्कैन कर प्रस्तुत करने होंगे।
9. समस्त प्रमाण–पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए।
10. दरों की वैधता–प्राईस बिड (वित्तीय बोली) खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी। इस बोली की अनुसूची ''ख'' के अनुसार निम्नानुसार दर अनुबन्ध किया जावेगाः–

नाम केन्द्रीय कारागृह

1.	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	2.	केन्द्रीय कारागृह, कोटा
3.	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	4.	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर
5.	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	6.	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर
7.	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	8.	केन्द्रीय कारागृह, अलवर
9.	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	10.	विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह दौसा

11. महानिदेशालय कारागार के अधीन दस केन्द्रीय कारागृहों के परिसर, बैरक्स, शौचालयों एवं स्नानघरों की सफाई एवं सेनिटेशन का कार्य हेतु अनुमानित कार्य आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाया जा सकता है। वास्तवित कार्य के अनुसार ही भुगतान बजट उपलब्धता पर किया जावेगा।

12. यदि कोई बोलीदाता सफाई एवं सेनिटेशन कार्य करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ मे ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनाधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

13. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।

14. विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह दौसा में बंदियों को स्थानान्तरण नही किया गया है। वर्तमान में पदस्थापित स्टाफ एवं कार्यालय, परिसर आदि की सफाई हेतु सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता रहेगी।

15. विस्तृत शर्तो के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट– अ, ब, द एवं अनूसूची क, ख, ग तथा अनुलग्नक– अ, ब, स, द सहित सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र सावधानीपूर्वक अध्ययन करके हस्ताक्षर व मोहर अंकन कर बोली में भाग ले सकते है। है। निविदा का कोई भी प्रपत्र दो बार अपलोड़ नही किया जायेगा। पहली उपलब्ध प्रति को ही मान्य किया जावेगा। उक्त मुख्य शर्तो एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ, ब, स, द एवं अनूसूची क, ख, ग तथा अनुलग्नक–अ, ब, स, द में उल्लेखित शर्तो के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तो के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई–बोली में उसके आगे के चरण (Stages) को नहीं खोला जावेगा।

16. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय उपापन समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।

17. विभागीय उपापन समिति के निर्णयाानुसार "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर" किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेगें।

18. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर होंगे।

19. अनुमोदित की गई दरें **दिनांक 31.03.2020** तक के लिये विधिमान्य होगी।

20. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान यथा आवश्यकतानुसार लागू होगें।

21. वित्तीय बोली (Price Bid) प्रपत्र संलग्न है, जो निर्धारित BOQ में दिया जावें। इसे तकनीकी बोली के साथ संलग्न नही किया जावें।

22. ई–बोली दो बिड़ प्रणाली के तहत् आमंत्रित की जा रही है यथा तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली। प्रथमतय समस्त बोली प्रतिभूति राशि को खोला जाकर तकनीकी बोली को खोला जावेगा एवं स्पेसिफिकेशन, नियम व शर्तो तथा योग्यता मापदण्डो के अनुसार मूल्यांकन किया जावेगा। तकनीकी बोली में योग्य/सफल पाये गये बोलीदाताओं की वित्तीय बोली (Price Bid) खोली जावेगी।

23. समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र, जयपुर है।

24. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है:–

    1. महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर
       दूरभाष नं. 0141–2601047 ई–मेल purchasejhq@gmail.com
    2. अधीक्षक (क्रय), भण्ड़ार, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
       दूरभाष नं. 0141–2609202 ई–मेल purchasejhq@gmail.com

महानिरीक्षक कारागार–I
राजस्थान जयपुर

अनुसूची "क"

विवरण (बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावें)

1.	कारागृह का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।	
3.	बोलीदाता फर्म का नाम	
	पता	
	दूरभाष संख्या व ई–मेल का पता	
4.	फर्म की पंजीकरण क्रमांक जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक (प्रति स्केन कर संलग्न की जावे)	
5.	जी.एस.टी. बकाया नहीं होने संबंधी कोई प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र (संलग्न किया जावे)	
6.	बोली प्रतिभूति राशि का विवरण (ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक क्रमांक, बैंक का नाम एवं राशि)	
6.	बोली प्रक्रिया शुल्क का विवरण ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/रसीद संख्या (संलग्न की जावे)	
7.	बोली प्रपत्र शुल्क का विवरण ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/रसीद संख्या (संलग्न की जावे)	

(उक्त सभी कॉलमों की पूर्ति आवश्यक रूप से हस्ताक्षर उपरान्त स्केन कर **"तकनीकी बोली"** हेतु आवश्यक रूप से अपलोड करे)

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम फर्म

पता :–

परिशिष्ट ''अ''

No Over writing

कार्यालय महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट, जयपुर

(तकनीकी बोली प्रपत्र–क्वालीफाईंग बिड)

राज्य की केन्द्रीय कारागृहो पर सफाई कार्य के लिये तकनीकी बोली प्रपत्र

1. केन्द्रीय कारागृह .... हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये सफाई कार्य के लिये हेतु दर अनुबंध बाबत ई–बोली।
2. ई–बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता, ई–मेल का पता एवं दूरभाष संख्या–––
3. संदर्भः ई–बोली आमंत्रण सूचना संख्याः सामान्य/के.भ./क्रय/02/2019–20/................................ दिनांक ....
4. मैं/हम महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई ई–बोली आमंत्रण सूचना संख्या सामान्य/के.भ./क्रय/02/2019–20/...........................दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न प्रपत्र/प्रारूपों (उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने **परिशिष्ट "द"** पर हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त बोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
5. फर्म के स्वामियों/भागीदारों के नाम व स्थायी पते की सूची संलग्न है। (केवल फर्म की स्थिति में)।
6. बोली प्रपत्र शुल्क :– राशि रूपये .... बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या................. दिनांक .... द्वारा जमा करा दी गई है ।
7. प्रोसेसिंग फीस :–राशि रूपये.....................................डीडी नं.....................................दिनांक.................. ....जमा करा दी है।
8. बोली प्रतिभूति राशि के पेटे बैंक डिमाण्ड़ ड्राफ्ट/चैक संख्या ––––––––––––दिनांक –––––––––जो (बैंक का नाम)––––––––––––––––––––– पर आहरित किया गया है।
9. इसके साथ वांछित GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र, चुकता प्रमाण–पत्र अथवा बिक्रीकर बकाया नहीं होने संबंधी कोई प्रमाण अथवा शपथ–पत्र प्रस्तुत है।
10. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र (परिशिष्ट ''द'') भी संलग्न है।
11. अनुसूची ''क, ख, ग'' की पूर्ति, परिशिष्ट "अ, ब, द" एवं अनुलग्नक "अ, ब, स, द" हस्ताक्षर कर सील अंकर कर सलंग्न कर दिये गये हैं।
12. रजिस्ट्रेशन इत्यादि का विवरणः–

क्र. सं.	विवरण	रजिस्ट्रेशन नं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	सलंग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

उक्त रजिस्ट्रेशन के संबंध में राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक/अथवा स्वयं द्वारा सत्यापित दस्तावेज बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं।

12. तकनीकी सक्षमता :–

(a) **वित्तीय टर्न ऑवरः–** संलग्न केन्द्रीय कारागृहो की सूची के अनुसार प्रति वर्ष के न्यूनतम 5.00 लाख वित्तीय टर्नओवर (Turn Over) का विवरण (गत तीन वर्षो का) वित्तीय टर्न ऑवर के संबंध में सी.ए. द्वारा सत्यापित दस्तावेज बोली के साथ संलग्न करने होगें।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रूपये लाखों में)
1.	2016–17	
2.	2017–18	
3.	2018–19	

(b) बोलीदाता का वित्तीय नेट वर्थ जो कि दिनांक 31 मार्च 2019 को धनात्मक (Positive) होना आवश्यक है इस संबंध में सी.ए. द्वारा सत्यापित दस्तावेज बोली के साथ संलग्न करने होगें।

मैंने/हमने महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित एवं बोली प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तों को स्वीकार करने के साक्ष्य के रूप में मैंने/हमने हस्ताक्षर किये हैं जिन्हें मै/हम मानने के लिये बाध्य हूँ/हैं।

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो कारागृह प्रशासन को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी अमानत राशि जब्त करने एवं उक्त बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संबंधित अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह को प्रदत्त करता हूँ/करते हैं ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम : ....

पत्र व्यवहार का पताः ....

....

....

मोबाईल नम्बरः ....

ईमेल आईडी ....

परिशिष्ट ''ब''

No Over writing

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

(वित्तीय/मूल्य बोली प्रपत्र–प्राईस बिड)

ई–बोली आमंत्रण क्रमांकः दिनांकः

1. केन्द्रीय कारागृह...................................... हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये सफाई कार्य के लिये हेतु दर अनुबंध बाबत ई–बोली।
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता एवं दूरभाष संख्या नाम—————————————————पता——— दूरभाष संख्या ——————————— ई–मेल——————————
3. संदर्भः–ई–बोली आमंत्रण सूचना सामान्य/के.भ./क्रय/02/2019–20/—————————— दिनांकः————————

(राशि रूपयें में)

<table>
<tr><td rowspan="2">क्र. सं.</td><td rowspan="2">सेवा का नाम</td><td colspan="4">श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या</td><td>ई.पी. एफ. दर प्रतिशत</td><td>ई.एस. आई. दर प्रतिशत</td><td>सामग्री राशि/ उपकरण किराया</td><td>सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि</td><td>कुल राशि (प्रतिमाह)</td></tr>
<tr><td>श्रमिक की श्रेणी</td><td>न्यूनतम मजदूरी दर</td><td>श्रमिकों की संख्या</td><td>राशि</td><td>13.16 %</td><td>4.75 %</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td colspan="2">3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">केन्द्रीय कारागृह .... के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।</td><td>1. अकुशल</td><td rowspan="2" colspan="8">दरें BOQ में ही अंकित करें</td></tr>
<tr><td>2. कुशल</td></tr>
</table>

नोटः न्यूनतम मजदूरी दर माह के 30 दिनों की गणना के आधार पर अंकन की गई है। उक्त अनुसार ही दरें प्रतिमाह के आधार पर (कॉलम संख्या 8, 9 एवं 10) में अंकन की जानी है । कुशल श्रमिक पर्यवेक्षण कार्य हेतु लगाया जाना है। श्रमिकों की संख्या कार्य अनुसार घटाई/बढाई जा सकती है। दरें जीएसटी रहित अंकित जाये। जीएसटी नियमानुसार संबंधित फर्म द्वारा ही देय होगी। जिसे विभाग द्वारा वहन नही किया जायेगा।

ई–बीडिंग के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।

मुझे बोली (वित्तीय बिड) के साथ संलग्न समस्त शर्ते मंजूर है।

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो बिना किसी पूर्वाग्रह के मैं/हम अमानत राशि जब्त करने एवं मेरे/हमारे द्वारा दी गई बोली निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपापन समिति को प्रदत्त करता हूँ/करते हैं ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम :..

पूर्ण पताः...

....

....

केन्द्रीय कारागृहो पर सफाई कार्य के लिये बोली की सामान्य शर्ते एवं नियमः—

बोलीदाता इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ें एवं बौलीयें भेजते समय इनकी पूर्ण रूप से पालना करनी होगी। बोली से संबंधित किसी भी संशय के लिए कार्यालय में जानकारी प्राप्त करें।

(ए) बोली भरने की प्रकियाः—

1. बोली सूचना में दी गई मुख्य शर्तो में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है ।
2. बोलीदाता फर्म श्रम विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए तथा बोली प्रपत्र के साथ पंजीयन प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी अनिवार्य है।
3. बोलीदाता फर्म पी. एफ. विभाग एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकृत होनी चाहिऐ तथा बोली प्रपत्र के साथ इन पंजीयन प्रमाण—पत्रों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी अनिवार्य हैं।
4. बोलीदाता फर्म का गत तीन वर्ष की अवधि का औसत कम से कम सलंग्न सूची में अकिंत प्रति वर्ष का न्यूनतम 5.00 लाख का टर्न ओवर होना आवश्यक है इसकी पुष्टि के लिए वित्तीय वर्ष 2016—17, 2017—18 एवं 2018—19 के टर्न ओवर का चार्टेड अकाउन्टेन्ट (सी.ए.) का प्रमाण पत्र / उक्त वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट्स एवं आयकर विभाग में प्रस्तुत रिटर्न की प्रति बोली के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
5. दिनांक 01.04.16 से दिनांक 31.03.19 तक उक्त कार्य के समानान्तर/सफाई कार्य जिसकी कीमत कम से कम राशि रूपये 3.00 लाख हो। इस कार्य के संबंध में सत्यापित अनुबन्ध/कार्यादेश संबंधी दस्तावेज बोली के साथ संलग्न करने होगे।
6. बोलीदाता का वित्तीय नेट वर्थ जो कि दिनांक 31 मार्च 2019 को धनात्मक (Positive) होना आवश्यक है इस संबंध में सी.ए. द्वारा सत्यापित दस्तावेज बोली के साथ संलग्न करने होगें।
7. बोलीदाता को पेन कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।
8. बोलीदाता को निर्धारित अमानत (बयाना) राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो **''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर''** के नाम हो, बोली के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
9. बोलीदाता द्वारा सफाई करने के काम में ली जाने वाली सफाई सामग्री की मात्रा एव सफाई सामग्री का ब्राण्ड़ की सूची बोली के साथ संलग्न करनी आवश्यक हैं।
10. माह में प्रयोग ली जाने वाली आवश्यकतानुसार समस्त सामग्री उस माह के प्रारम्भ में नियत्रक अधिकारी को सुपुर्द की जावेगी। तथा आवश्यकता अनुसार उक्त जमा सामग्री में से जारी कराई जावेगी।
11. सफाई व्यवस्था हेतु आई.एस.ओ. प्रमाणित (I.S.O. Certified) फर्म को प्राथमिकता प्रदान की जा सकती हैं।
12. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष, 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
13. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होगें। पंजीकरण प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुये बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्थान को प्रस्तुत की जावेगी।
14. यदि किसी उपापन संस्थान को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबधित उपापन संस्था द्वारा बिड संबंधी कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय—समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
15. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

16. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

17. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्थान द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

18. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा करना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

19. संवदेक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Board लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हेल्पलाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

20. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

21. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से सलंग्न की जायेगी। वस्तुत एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

22. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

23. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कार्य विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था क सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।

24. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

25. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

26. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डीबार (Debar) कराने की कार्यवाही करेगी।

27. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नही करते हुए, पृथक् से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजूदरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक् से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) करने का दाायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

28. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।

दरों की तुलनाः–

29. (i) राजस्थान प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स (प्रीफरेन्स टू एमएसएमई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 (अधिसूचना दिनांक 19.11.2015) के नियम 4 के तहत राजस्थान राज्य के स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनो प्रदान की जावेगी।

(ii) राजस्थान प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स (प्रीफरेन्स टू एमएसएमई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 (अधिसूचना दिनांक 19.11.2015) के अनुसार यदि सामान के प्रदाय का प्रस्ताव करने वाला कोई बोलीदाता राजस्थान में अवस्थित कोई डीलर है और बोली मूल्य राजस्थान के उद्योगो द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर है और सामान की किस्म और विनिर्देश वही है तो राजस्थान के उद्योगों को ऐसे स्थानीय डीलर पर क्रय अधिमान दिया जावेगा।

(iii) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए भी दरों की तुलना की जावेगी।

30. **बातचीत (Negotiation) :–**

(i)जहॉ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :–

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

(ii) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्याकंन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

31. **बोली की विधि मान्यताः–**

दरों की वैद्यता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

32. **करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :–**

(अ) विस्तृत बोली आमंत्रण में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 3 दिन में माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम की पॉच प्रतिशत राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी एवं उक्त करार पत्र हेतु नियमानुसार नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। करार पत्र निर्धारित प्रारूप में नियत अवधि में निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है ।

(ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य निष्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

(i) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

(ii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि संबंधित **''अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह''** के नाम से निम्न में से किसी रूप में प्रस्तुत की जा सकेगीः–

(क) ''ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा ''

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत निमयों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियॉ। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(ड.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।

(च) उपर्युक्त खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

नोटः– अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी./पासबुक/डिफेंस बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि ledge की हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(iii) संबंधित कारागृहों के प्रभारी से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्व कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, कार्य निष्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाऐगा।

(iv) **<u>कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण</u>** (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):– सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जाऐगाः–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लधंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो

(ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। वारंटी एवं ए.एम.सी. अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नही पाये जाने पर कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी अथवा इस जुर्माना राशि की कटौती की जा सकेगी। सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

(v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाऐगी।

(vi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाऐगेः–

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnrership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता,टेलिफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र

(vii) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में निविदा एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये।

33. बोली विभाग द्वारा जारी प्रपत्र पर ही स्वीकार की जावेगी।

34. न्यूनतम मजदूरी के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकार के संबंधित कानूनों की पालना का दायित्व संवेदक का होगा।

(बी) <u>दस्तावेज प्रस्तुत करने का तरीकाः–</u>

1. बोली प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह से सम्पर्क कर उक्त सफाई कार्य हेतु वांछित दस्तावेज/प्रपत्रों का कार्यालय समय में व्यक्तिशः अवलोकन कर लेवें।

2. बोलीदाता को तकनीकी बिड (Technical bid) तथा वित्तीय बिड (Financial bid) अलग–अलग प्रस्तुत करनी होगी।

3. तकनीकी बिड के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियाँ लगानी होगी:–

(A) अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ।

(B) वित्तीय टर्न ओवर के संबंध में चार्टेड अकाउन्टेन्ट (सी.ए.) का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

(C) बोलीदाता का वित्तीय नेट–वर्थ जो कि दिनांक 31 मार्च 2019 को धनात्मक (Positive) होना आवश्यक हैं इस संबंध में सी.ए. द्वारा सत्यापित दस्तावेज बोली के साथ संलग्न करने होगें।

(D) पेन–कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति।

(E) अमानत (बयाना) राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक (बयाना राशि के अभाव में बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा)

(F) मूल बोली प्रपत्र एवं शर्ते परिशिष्ट–ए जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता के फर्म की मोहर सहित हस्ताक्षर अंकित हो।

(G) श्रम विभाग, पी. एफ. विभाग एवं ई.एस.आई. विभाग के नवीनतम पंजीयन प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

(H) बोलीदाता के कार्यालय के स्थाई पते के संबंध में नोटेरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा सत्यापित दस्तावेज।

(I) सफाई कार्य के काम में ली जाने वाली सफाई सामग्री का विवरण (अनूसूची "ग")।

(J) सफाई व्यवस्था हेतु आई.एस.ओ. प्रमाणित (I.S.O. Certified) फर्म को सम्बन्धित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उक्त सभी दस्तावेजो पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें एवं मोहर लगानी होगी।

4. बोलीदाता को वित्तीय बिड (परिशिष्ट 'बी') होगी जिसमें बोलीदाता को अपनी मासिक दर अंकों में एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। दरें जीएसटी रहित अंकित करें, जीएसटी नियमानुसार संबंधित फर्म द्वारा ही देय होगी। जिसे विभाग द्वारा वहन नही किया जायेगा। अंकों में एवं शब्दों की राशि में अन्तर होने पर दोनों में से जो राशि कम होगी उस पर विचार किया जावेगा।

5. वित्तीय बोली भरने से पूर्व बोलीदाता को निम्न बिन्दुओं पर विचार करना होगा:–

(ए) कर्मकारों का न्यूनतम मानदेय जो की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हैं।

(बी) कर्मकारों का नियोक्ता द्वारा पी.एफ./ई.एस.आई. अंश जोड़ कर करें।

(सी) सर्विस चार्ज।

(डी) अन्य।

6. अपूर्ण रूप से भरी हुई बोली एवं सशर्त बोली स्वीकार नही की जावेगी।

(सी) सामान्य नियम एवं शर्ते:–

1. समस्त केन्द्रीय कारागृह हेतु अलग–अलग दरे प्रस्तुत की जायेगी व अलग–अलग अमानत राशि जमा करानी होगी।
2. अनुबन्ध की अवधि 31.03.2020 तक रहेगी। अनुबन्धित फर्म का कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से अनुबन्ध की अवधि तीन माह के लिये और बढ़ाई जा सकती है।
3. ठेकेदार के द्वारा प्रशासन के सहयोग से कार्य शुरू करने से पूर्व एवं समय–समय पर तथा ठेके की अवधि के दौरान कर्मकारों को कार्य के बारे में विस्तृत रूप से बताना, उचित सद्व्यवहार एवं कार्य का प्रशिक्षण कार्य करने हेतु देना होगा।
4. वित्त (जी. एण्ड टी.) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.1(8) वित्त/साविलेनि/2011 संख्या 3/2013, जयपुर दिनांक 04 फरवरी 2013 एवं एफ.2(1) वित्त/एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 30.04.2018 में उल्लेखित नियम भी लागू रहेगें।
5. कार्य बिन्दुओं की संख्या कम या अधिक किये जाने का पूर्ण अधिकार नियत्रंक अधिकारी को होगा।
6. अनुबन्धित फर्म को निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सात दिवस की अवधि में अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा जिसका समस्त व्यय अनुबन्धित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।
7. अनुबन्धित फर्म को अनुमोदित दर के अनुसार 31.03.20 तक की राशि के 5% प्रतिभूति राशि का डी.डी./बैंकर चैक/एन.एस.सी. के रूप में जो कि सम्बन्धित अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह के नाम देय हो, तथा कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से 12 माह तक वैध (Vaild) होना आवश्यक है, जमा कराना होगा। इस कार्यालय द्वारा फर्म द्वारा कराई गई प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

8. **<u>कर्मकारों को कारागृह द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय का भुगतान करने तथा उनके पी.एफ. व ई.एस.आई. का अंशदान सम्बन्धित विभागों में जमा कराने की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धित फर्म की होगी।</u>**
9. नियोक्ता का अंशदान केन्द्रीय कारागृह की ओर से जमा कराने के लिये राशि, अनुबन्धित फर्म द्वारा मांगी गई सकल राशि में शामिल मानी जावेगी।
10. कर्मकारो को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्युनतम श्रर्मिक दर अथवा उससे अधिक का भुगतान करना आवश्यक होगा।
11. राज्य सरकार/श्रम विभाग द्वारा अनुबन्ध की अवधि में कर्मकारों के मानदेय में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी होने पर फर्म द्वारा बोली में निर्धारित कर्मकार के मूल मानदेय में उक्त बढ़ोतरी जोड़कर मानदेय लागू होने की दिनांक से कर्मकारों को बढ़ी हुई दरों के आधार पर सम्पूर्ण राशि एवं वैधानिक देयताओं का भुगतान करने की समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी तथा इसके लिए फर्म द्वारा अनुमोदित राशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि की मांग केन्द्रीय कारागृह से नही की जावेगी।
12. बिल एवं बिल के साथ समस्त संलग्नकों पर अनुबन्धित फर्म या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के ही हस्ताक्षर मय नाम एवं मोहर अंकित होना आवश्यक हैं। बिल पर अनुबन्धित फर्म या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने पर बिल पर कार्यवाही किया जाना संभव नही होगा।
13. सफाई व्यवस्था हेतु लगाये वास्तविक रूप से लगाये गये कार्मिकों की संख्या पूर्व नियोजित कार्मिकों की संख्या से कम होने की स्थिति में वास्तविक नियोजित एवं पूर्व नियोजित कार्मिकों के अनुपातिक आधार पर भुगतान किया जावेगा एवं कार्य बाधित होने की स्थिति में शास्ति भी लगायी जा सकेगी एवं नियत्रक अधिकारी प्रतिदिन उतने कार्मिको की उपस्थिति सुनिश्चित करेगे।

$$\frac{\text{कुल वास्तविक मानव दिवस}}{\text{कुल स्वीकृत मानव दिवस}} \times \text{कुल मासिक}$$

14. अनुमोदित फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मकार फर्म द्वारा निर्धारित वर्दी जिसकी डिजाईन नियत्रक अधिकारी से लेनी होगी में रहेगे जिस पर फर्म का नाम/Logo अंकित होगा एवं ड्यूटी के दौरान कर्मकार फर्म द्वारा जारी पहचान पत्र भी लगायेगा। अनुबन्धित फर्म को अपने कर्मकारों को वर्दी जिस पर फर्म का नाम अंकित होगा ड्यूटी के दौरान पहनानी होगी व पहचान/परिचय पत्र एवं नेम प्लेट उपलब्ध कराने होंगे। जिस पर होने वाला समस्त व्यय अनुमोदित फर्म द्वारा स्वंय वहन किया जावेगा। यदि कोई कर्मकार निरीक्षण के दौरान बिना वर्दी या परिचय पत्र के पाया जावेगा तो प्रतिदिन रूपये 100/– की दर से शास्ति अधीक्षक,केन्दीय कारागृह द्वारा लगाई जा सकती है।
15. कर्मकारों द्वारा कार्य न करने, व्यवधान उत्पन्न करने, शराब व अन्य किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन किये हुए पाये जाने पर, अनापेक्षित आचरण, अपराधिक एवं अवांछित गतिविधियों में लिफ्त पाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सभी प्रकार की जिम्मेदारी अनुबन्धित फर्म की होगी एवं उस कर्मकार को अनुबन्धित फर्म द्वारा तुरन्त प्रभाव से हटाकर उसके स्थान पर नये उपयुक्त कर्मकार से कार्य करवाना होगा।
16. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत् कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह अनुबन्धित फर्म स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। अनुबन्धित फर्म को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये मानदेय इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अनुबन्धित फर्म की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
17. यदि निर्धारित कार्य व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई तो अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह के निर्देशानुसार अनुबन्धित फर्म को संबंधित कार्य हेतु लगाये गये कर्मकारों की संख्या में बढ़ोतरी करनी होगी। इस हेतु बोली में अंकित दर/अनुमोदित दर में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जावेगी तथा अनुमोदित दर के अलावा किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
18. अनुबन्धित फर्म द्वारा जॉब बैसिस कार्य में लगाये जाने वाले कर्मकारों की सूची उनके पासपोर्ट साईज फोटो सहित संबंधित जॉब कार्य के प्रभारी/नियत्रंक को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। इनके आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से अनुबन्धित फर्म जिम्मेदार होगी। इन कर्मकारों के नियमित पुलिस वेरीफिकेशन कराने की जिम्मेवारी अनुबन्धित फर्म की होगी। अनुबन्धित फर्म के पास जिन कर्मकारों के नवीन पुलिस

वेरिफिकेशन (बोली जारी होने की दिनांक से पूर्व के दो माह तक के) हो, उन्हीं कर्मकारों को कार्य पर उपलब्ध करवायेगा। पुलिस वैरिफिकेशन की सूची व सत्यापित प्रतियॉ जॉब कार्य के प्रभारी/नियत्रंक द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होगे। को आवश्यक प्रस्तुत करनी होगी। यदि किसी कार्मिक के विरूद्व आपराधिक/न्यायिक मामला चल रहा हो तो उस श्रमिक को अनुबन्धित फर्म कारागृह में उपलब्ध नहीं करावेगा।

19. कर्मकारो द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र, स्थाई व अस्थाई पता, पैन कार्ड एवं वोटर आई.डी. की प्रति कारागृह पर प्रस्तुत करनी होगी ।

20. किसी भी प्रकार की वस्तु का आदान–प्रदान व जेल परिसर के अन्दर ले जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध होगा एवं ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी व समानान्तर कार्यवाही संवेदक के विरूद्ध भी की जायेगी।

21. अनुबन्ध अवधि के दौरान कर्मकारों के द्वारा किसी भी समय, कितनी भी अवधि एवं किसी भी कारण से कार्य का बहिष्कार किया जाता हैं या हडताल की जाती हैं तो यह अनुबन्धित फर्म द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कमी मानी जावेगी एवं शर्तो का उल्लंघन माना जाकर प्रत्येक ऐसे अवसर/घटना के लिए कारागृह प्रशासन को रूपये 50,000/– तक की शास्ति लगाने का पूर्ण अधिकार अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह को होगा।

22. यदि अनुबन्धित फर्म द्वारा लगाये गये किसी कर्मकार या कर्मकारों के द्वारा कारागृह की राजकीय सम्पति को नुकसान पहुॅचाया जाता हैं तो उस सम्पत्ति के वास्तविक मूल्य की राशि से दुगनी राशि की वसूली अनुबन्धित फर्म के द्वारा प्रस्तुत बिल में से करने का पूर्ण अधिकार अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह को होगा।

23. कारागृह प्रशासन द्वारा अनुबन्ध से संबंधित कोई भी सूचना अनुबन्धित फर्म से कभी भी प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु अनुबन्धित फर्म को अनुबन्ध स्थल पर स्वयं की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को नामजद करना होगा जो कि अनुबन्धित फर्म के नाम से जारी पत्रों को प्राप्त करने एवं वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत एवं उत्तरदायी हो। अधिकृत व्यक्ति राउण्ड दॉ क्लॉक संबंधित जॉब कार्य के प्रभारी/नियत्रंक के संपर्क में रहेगा एवं प्रशासन के द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिये उत्तरदायी होगा। अधिकृत व्यक्ति का नाम, उम्र, पिता का नाम, पता, फोटो, मोबाईल नम्बर, अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर फर्म के लेटर हैड पर अंकित करवाकर अनुबन्धित फर्म द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा एवं उपरोक्त रिकॉर्ड के दस्तावेज अनुबन्धित फर्म को भी रखने होगें।

24. अनुबन्धित फर्म द्वारा जॉब बैसिस कार्य हेतु लगाये गये कर्मकारों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरांत मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने की समस्त जिम्मेदारी व दायित्व अनुबन्धित फर्म का होगा। इसके लिये सरकार व कारागृह प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

25. किसी भी बोली/अनुबन्ध को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर को होगा।

26. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह द्वारा अनुबन्धित फर्म से मांगे गये आवश्यक समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रतिभूति राशि लौटाने संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

27. अनुबन्धित फर्म द्वारा दी गई शर्तो में जी.एस.टी. की राशि भी शामिल होगी उसका अलग से कोई भूगतान नही किया जायगा। अनुबन्धित फर्म को भुगतान कोषालय से पारित बिल राशि में से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर (TDS) की कटौती कर शेष सम्पूर्ण राशि का ऑनलाईन भुगतान किया जावेगा।

28. अनुबन्धित फर्म द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर, अनुबन्ध की शर्तो की पालना नहीं करने या अनुबन्धित फर्म का कार्य संतोषप्रद नही होने की स्थिति में स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर प्रतिभूति राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार अधीक्षक,केन्द्रीय कारागृह को होगा।

29. बोली एवं अनुबन्ध पत्र में वर्णित शास्तियां (पूर्ण/आंशिक) लगाने/नही लगाने का पूर्ण अधिकार अधीक्षक,केन्द्रीय कारागृह को होगा। जो कि अनुबन्धित फर्म को बिना किसी आपत्ति के मान्य होगी।

30. अनुबन्ध/बोली में वर्णित समस्त कार्य/सर्विसेज अपने उपकरणों द्वारा एवं कर्मकारों को लगातार दिशा–निर्देश देते हुए कार्य करवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धित फर्म की होगी। अतः समस्त शास्तियां अनुबन्धित फर्म पर ही लगाई जावेगी न कि उनके कर्मकारों पर।

31. अनुबन्धित फर्म व अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह के मध्य उपरोक्त बोली से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर द्वारा नियुक्त मध्यस्थ (Arbiterator) का निर्णय अन्तिम होगा एवं दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

32. सभी विवादो का न्याय क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय होगें।
उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उंल्लधन करने पर समुचित शास्ति आरोपित करने का अधिकार कारागृह प्रशासन को होगा तथा पुनरावृत्ति करने अथवा शर्तो के निरन्तर उंल्लधन की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार अधीक्षक,केन्द्रीय कारागृह को होगा।

(डी) **कार्य सम्बन्धित विवरण एवं शर्तेः– (Scope of Work)**

1. बोली में दर्शाई गई सफाई सामग्री को कार्य की आवश्यकतानुसार उच्च क्वॉलिटी का काम में लेनी होगी।
2. अनुबन्धित फर्म द्वारा सफाई कार्य हेतु लगाये गये सभी सफाई कर्मचारी निर्धारित यूनिफॉर्म में रहेगें जिस पर फर्म का नाम अंकित होगा एवं ड्यूटी के दौरान कर्मकार यूनिफॉर्म में रहेगा एवं कर्मकार को फर्म द्वारा जारी पहचान पत्र भी रखना होगा।
3. **बंदी बेरक्स में सफाई /रैम्प/खुर्रे/सीढ़ियॉ/नाल /गलियारों (Corridors) बरामदों की सफाईः–**
ए. प्रति–दिन प्रति पारी में कम से कम दो बार तथा आवश्यकता पड़ने पर निरन्तर ड्राई एवं वैट मोपिंग की जायेगी।
बी. टाईल्स की दैनिक प्रति पारी निरन्तर ड्राई एवं वैट मोपिंग करनी होगी तथा समस्त दाग, धब्बें कैमिकल्स द्वारा हटाकर साफ करने होगें।
सी. फर्श, टाईल्स, खिडकियॉ, जाली, गलियारा (Corridors) की धुलाई उपकरणों के माध्यम से सर्फ एवं फिनाईल द्वारा सप्ताह में कम से कम दो बार तथा आवश्यकता पड़ने पर करनी होगी।
डी. कार्यालय, बेरक्स, शौचालय, स्नानघर, बरामदें, गलियारा (Corridors) आदि के जालें दैनिक रूप से निरन्तर साफ करने होगें। समस्त शौचालय, स्नानघरों, वाशवेसिनों, इत्यादि की निरन्तर सफाई एवं प्रत्येक पारी में सर्फ एवं फिनाईल द्वारा करनी होगी।
ई. कक्षों के समस्त स्थानों पर पक्षियों की बीट इत्यादि की निरन्तर सफाई करनी होगी।
एफ. समस्त स्थलों पर सुगन्धित द्रव्य का प्रयोग करना होगा। समस्त शौचालय, स्नानाघरों, वाश वेसिनों में ऑडोनिल गोलियॉ रखनी होगी।
उक्त ए से एफ तक में वर्णित कार्य में अधूरी या किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है या शिकायत प्राप्त होने पर 200 रूपये प्रति शिकायत प्रति–दिन की शास्ति संबंधित अधीक्षक द्वारा अनुबन्धित फर्म पर लगाई जा सकती हैं।
4. समस्त कचरा कारागृह परिसर से उठाकर स्थानीय नगर निगम/नगर न्यास के नजदीकी कचरा संग्रहण केन्द्र पर डालना होगा।
5. उक्त बिन्दुओं के क्षेत्र में चूहों पर नियत्रंण (Pest Control) की समस्त जिम्मेदारी अनुबन्घित फर्म की होगी। इस हेतु अनुबन्घित फर्म को चूहों के नियत्रंण के लिए चूहों को पकड़ने/मारने के काम आने वाले उपकरण/सुरक्षित केमिकल्स का उपयोग अपने स्तर से करना होगा। जिस पर होने वाला समस्त व्यय की राशि अनुबन्घित फर्म द्वारा वहन की जावेगी। चूहें होने की शिकायत प्राप्त होने पर 200/– प्रति शिकायत की शास्ति लगाई जायेगी।
6. उक्त बिन्दुओं के क्षेत्र में कीड़े–मकोड़े (कॉकरोच) इत्यादि पर नियत्रंण (Insect Control) की समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धित फर्म की होगी। इस हेतु अनुबन्धित फर्म को काम आने वाले उपकरण/सुरक्षित केमिकल्स का उपयोग अपने स्तर से करना होगा। जिस पर होने वाला समस्त व्यय की राशि अनुबन्धित फर्म द्वारा वहन की जावेगी। कीड़े–मकोड़े (कॉकरोच) इत्यादि होने की शिकायत प्राप्त होने पर 200/– प्रति शिकायत प्रति–दिन की शास्ति अनुबन्धित फर्म पर अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह द्वारा लगाई जा सकती हैं।
7. अनुबन्धित फर्म को समस्त सफाईकर्मी, सफाई सामग्री एवं सफाई कार्य में प्रयुक्त होने वाला सामान, उपकरणों की व्यवस्था एव इनका रख–रखाव स्वंय के स्तर से करना होगा जिसकी कारागृह प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इन पर होने वाला समस्त व्यय अनुबन्धित फर्म स्वंय के स्तर पर वहन करेगा। कारागृह प्रशासन द्वारा अनुमोदित दरों के अलावा अन्य किसी प्रकार का भुगतान अनुबन्धित फर्म को नहीं किया जावेगा।

8. अनुबन्धित फर्म के सफाई कर्मियों को वार्डो में उत्सर्जित जैविक अपशिष्ठ के पृथकीकरण का कार्य भी करना होगा व बायो मेडिकल वेस्ट को अलग–अलग रंगों के कचरा पात्रों में डालकर थैलियों में बंद करके कारागृह परिसर में स्थित कचरा डिपो तक निर्धारित रंगो की बन्द कचरा गाडियॉ के द्वारा सुरक्षित पहुॅचाना होगा। कचरा उठाने के पश्चात् कचरा पात्रों की केमिकल द्वारा पूर्ण सफाई करनी होगी। गंदे पाये जाने पर रू. 200 प्रति शिकायत की दर से शास्ति अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह द्वारा अनुबन्धित फर्म पर लगाई जा सकती हैं।
9. कचरा उठवाने के लिए पृथक से व्यवस्था अनुबन्धित फर्म को स्वंय को करनी होगी ।
10. यदि कचरा ले जाते समय कचरा कारागृह परिसर में गिरता हैं तो प्रत्येक शिकायत पर रूपये 200/– प्रति शिकायत की दर से शास्ति अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह द्वारा अनुबन्धित फर्म पर लगाई जा सकती हैं।
11. कर्मकार प्रत्येक कार्य स्थल पर आठ घण्टें उपलब्ध रहेगें।
12. बोली एवं अनुबन्ध पत्र में वर्णित शास्तियॉ (पूर्ण/आंशिक) लगाने/नही लगाने का पूर्ण अधिकार अधीक्षक,केन्द्रीय कारागृह को होगा। जो कि अनुबन्धित फर्म को बिना किसी आपत्ति के मान्य होगी।
13. अनुबन्ध/बोली में वर्णित समस्त कार्य/सर्विसेज अपने उपकरणों द्वारा एवं कर्मकारों को लगातार दिशा–निर्देश देते हुये कार्य करवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धित फर्म की होगी। अतः समस्त शास्तियॉ अनुबन्धित फर्म पर ही लगाई जावेगी न कि उनके कर्मकारों पर।
14. अनुबन्धित फर्म द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर, अनुबन्ध की शर्तो की पालना नहीं करने या अनुबन्धित फर्म का कार्य संतोषप्रद नही होने की स्थिति में स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर प्रतिभूति राशि की राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह को होगा। जो कि अनुबन्धित फर्म को बिना किसी आपत्ति के मान्य होगी।
15. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, द्वारा माह में दो बार पाक्षिक कार्य की सन्तुष्टि एवं संतोषप्रद रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित की जावेगी।

महानिरीक्षक कारागार–I
राजस्थान, जयपुर

मैने/ हमने उपरोक्तानुसार वर्णित सभी शर्तो को भली भांति पढ़ लिया है एवम् समझ लिया है। मै/ हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने के लिये सहमत है।

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम ....

पता. ....

....

मोबाइल नं. ....

परिशिष्ट "द"

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन आईटम के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (सूक्ष्म/लघु)/अधिकृत डीलर/सद्भावी सप्लायर हूँ/हैं। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ, ब, स एवं ई तथा ई–बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना एवं मुख्य शर्तो को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते है। मै/हम कारागार विभाग व अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग में ब्लेक लिस्टेड़ (काली सूची) में घोषित नही हूँ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

मय मोहर

अनुलग्नक 'अ'

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
   a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
   b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
   d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
   f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Signature of bidder

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :	Signature of bidder
Place :	Name :
	Designation :
	Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process The designation and address of the First Appellate Authority is **DG & IG Jail, Rajasthan Jaipur**
The designation and address of the Second Appellate Authority is **Additional Chief Secretary/Principal Secretary Home Department, Secriatrate Jaipur**

(1) Filling an appeal
If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases
No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-
(a) Determination of need of procurement.
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
(d) Cancellation of a procurement process.
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i)hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date :	Signature of bidder
Place :	Name :
	Designation :
	Address :

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No……….of………….

Before the ……………………………….(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal :…………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………… (Supported by an affidavit)

7. Prayer :………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………
   ……………………………………………………

Place ……………………………………….

Date ………………………………..

Appellant's Signature

अनुलग्नक 'द'

प्रारूप ख

शपथ पत्र का रूप विधान

(खण्ड 11 देखिए)

मैं.. पुत्र .... आयु............वर्ष................. का निवासी, मैसर्स .... का स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि:–

(क) मेरे/हमारे उपरोक्त उल्लिखित उधम मैसर्स .... को जिला उधोग केन्द्र .... द्वारा उधम संबंधी ज्ञापन भाग–II की अभिस्वीकृति जारी की गयी है। अभिस्वीकृति सं......... .... दिनांक .... निम्नलिखित वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए जारी की गयी है:–

वस्तु का नाम	उत्पादन क्षमता (वार्षिक)
(i)	
(ii)	
(iii)	
(iv)	
(v)	

(ख) मेरी/हमारी उपरोक्त उल्लिखित उधम संबंधी ज्ञापन भाग–II की अभिस्वीकृति उधोग विभाग द्वारा रद्द या प्रत्याहृत नहीं की गयी है तथा यह कि उधम उपरोक्त वस्तुओं का नियमित रूप से विनिर्माण कर रहा है।

(ग) मेरे/हमारे उधम के पास समस्त अपेक्षित संयत्र और मशीनरी है और उपरोक्त उल्लिखित वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित है।

स्थान:–

हस्ताक्षर
स्वत्वधारी/निदेशक प्राधिकृत
हस्ताक्षरी
मय रबर स्टाम्प एवं दिनांक

अनुसूची "ख"

कार्य का विवरण

क्र. स.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत सामग्री सहित (राशि लाखों में)	सफाईकर्मी (प्रतिदिन)	बोली प्रतिभूति राशि
1.	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	17.27 लाख	18	34540/-
2.	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	13.56 लाख	14	27120/-
3.	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	11.70 लाख	12	23400/-
4.	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर के के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	13.56 लाख	14	27120/-
5.	केन्द्रीय कारागृह बीकानेर के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	11.70 लाख	12	23400/-
6.	केन्द्रीय कारागृह, कोटा के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	16.60 लाख	17	33200/-
7.	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	9.17 लाख	09	18340/-
8.	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	7.31 लाख	07	14620/-
9.	केन्द्रीय कारागृह, अलवर के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	9.85 लाख	10	19700/-
10.	विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, दौसा के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	4.90 लाख	05	9800/-

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनूसूची ''ग''

सफाई कार्य हेतु काम में ली जाने वाली सामग्री का विवरण

लिक्विड सोप, निरमा पाउडर, एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, हार्पिक , फिनायल, फिनायल की गोलियॉं, ओडोनिल, कोलीन स्प्रे, फिनिट, टॉयलेट साफ करने के लिये ब्रुश, जूट, पोछा, सन/पोछा कोटन, जाले साफ करने का बांस, झाडू, Stair-case (सीढ़ी) ब्रुश एवं इत्यादि सामग्री को कार्य की आवश्यकता के अनुसार उच्च क्वॉलिटी का काम में लेना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				ई.पी. एफ. दर प्रतिशत	ई.एस. आई. दर प्रतिशत	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि **(प्रतिमाह)**
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	राशि	**13.16 %**	**4.75 %**			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	**केन्द्रीय कारागृह जयपुर** के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	1. अकुशल	213X30	17	108630	15216	5492			
		2. कुशल	233x30	1	6990					
		योग		18	115620					
2.	**केन्द्रीय कारागृह जोधपुर** के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	1. अकुशल	213X30	13	83070	11852	4278			
		2. कुशल	233x30	1	6990					
		योग		14	90060					
3.	**केन्द्रीय कारागृह अजमेर** के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	1. अकुशल	213X30	11	70290	10170	3671			
		2. कुशल	233x30	1	6990					
		योग		12	77280					
4.	**केन्द्रीय कारागृह उदयपुर** के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	1. अकुशल	213X30	13	83070	11852	4278			
		2. कुशल	233x30	1	6990					
		योग		14	90060					

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर.से कम नहीं होगी। मय संख्या				ई.पी. एफ. दर प्रतिशत	ई.एस. आई. दर प्रतिशत	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि (प्रतिमाह)
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	राशि	13.16 %	4.75 %			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
5.	**केन्द्रीय कारागृह बीकानेर** के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	1. अकुशल	213X30	11	70290	10170	3671			
		2. कुशल	233x30	1	6990					
		योग		12	77280					
6.	**केन्द्रीय कारागृह कोटा** के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	1. अकुशल	213X30	14	102240	12693	4581			
		2. कुशल	233x30	1	6990					
		योग		15	96450					
7.	**केन्द्रीय कारागृह भरतपुर** के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	1. अकुशल	213X30	8	51120	7647	2760			
		2. कुशल	233x30	1	6990					
		योग		9	58110					
8.	**केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर** के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	1. अकुशल	213X30	6	38340	5965	2153			
		2. कुशल	233x30	1	6990					
		योग		7	45330					

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				ई.पी. एफ. दर प्रतिशत	ई.एस. आई. दर प्रतिशत	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि (प्रतिमाह)
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	राशि	13.16 %	4.75 %			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
9.	**केन्द्रीय कारागृह अलवर** के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	1. अकुशल	213X30	9	57510	8488	3064			
		2. कुशल	233x30	1	6990					
		योग		10	64500					
10	**विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह दौसा** के परिसर, बैरक्स, शौचालयों, स्नानगृहों, नालियों की सफाई एवं आवासीय परिसर की समस्त सफाई इत्यादि तथा समस्त सेनीटेशन का कार्य सुचारू रूप से संपादित करना।	1. अकुशल	213X30	4	25560	4284	1546			
		2. कुशल	233x30	1	6990					
		योग		5	32550					

नोटः

1. **विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह दौसा में बंदियों का स्थानान्तरण नही किया गया है। वर्तमान में पदस्थापित स्टाफ एवं कार्यालय, परिसर आदि की सफाई हेतु सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता रहेगी।**
2. **न्यूनतम मजदूरी दर माह के 30 दिनों की गणना के आधार पर अंकन की गई है। उक्त अनुसार ही दरें प्रतिमाह के आधार पर (कॉलम संख्या 8, 9 एवं 10) में अंकन की जानी है। कुशल श्रमिक पर्यवेक्षण कार्य हेतु लगाया जाना है। श्रमिकों की संख्या कार्य अनुसार घटाई/बढाई जा सकती है। साथ ही सफाई हेतु नवीनतम तकनीक की मशीनें भी उपयोग में लाई जा सकती है।**

क्र. सं.	कारागृह का नाम	बंदियों की संख्या	श्रमिक की श्रेणी	प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी (अकुशल 213X30 कुशल 233X30 के अनुसार)	E.P.F दर प्रतिशत 13.16%	E.S.I दर प्रतिशत 4.75%	योग 5+6+7	सफाई कर्मचारियों की संख्या अकुशल (बंदियों की संख्या / 100)+ एक कुशल	राशि	ई.पी.एफ.दर प्रतिशत 13.16%	ई.एस.आई. दर प्रतिशत 4.75%	01 माह योग राशि	9 माह का योग	योग राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	के.का. जयपुर	1700	अकुशल	6390	840.92	303.53	7534.45	17	108630	14295.71	5159.93	128085.633	1152771	**1226947.87**
			कुशल	6990	919.88	332.03	8241.91	1	6990	919.88	332.03	8241.909	74177.18	
2	के.का. अलवर	822	अकुशल	6390	840.92	303.53	7534.45	9	57510	7568.32	2731.73	67810.041	610290.4	**684467.55**
			कुशल	6990	919.88	332.03	8241.91	1	6990	919.88	332.03	8241.909	74177.18	
3	के.का. भरतपुर	800	अकुशल	6390	840.92	303.53	7534.45	8	51120	6727.39	2428.20	60275.592	542480.3	**616657.50**
			कुशल	6990	919.88	332.03	8241.91	1	6990	919.88	332.03	8241.909	74177.18	
4	के.का. जोधपुर	1280	अकुशल	6390	840.92	303.53	7534.45	13	83070	10932.01	3945.83	97947.837	881530.5	**955707.71**
			कुशल	6990	919.88	332.03	8241.91	1	6990	919.88	332.03	8241.909	74177.18	
5	के.का. कोटा	1600	अकुशल	6390	840.92	303.53	7534.45	16	102240	13454.78	4856.40	120551.184	1084961	**1159137.83**
			कुशल	6990	919.88	332.03	8241.91	1	6990	919.88	332.03	8241.909	74177.18	
6	के.का. श्रीगंगानगर	600	अकुशल	6390	840.92	303.53	7534.45	6	38340	5045.54	1821.15	45206.694	406860.2	**481037.42**
			कुशल	6990	919.88	332.03	8241.91	1	6990	919.88	332.03	8241.909	74177.18	
7	के.का. बीकानेर	1050	अकुशल	6390	840.92	303.53	7534.45	11	70290	9250.16	3338.78	82878.939	745910.5	**820087.63**
			कुशल	6990	919.88	332.03	8241.91	1	6990	919.88	332.03	8241.909	74177.18	
8	के.का. अजमेर	1035	अकुशल	6390	840.92	303.53	7534.45	11	70290	9250.16	3338.78	82878.939	745910.5	**820087.63**
			कुशल	6990	919.88	332.03	8241.91	1	6990	919.88	332.03	8241.909	74177.18	
9	के.का. उदयपुर	1234	अकुशल	6390	840.92	303.53	7534.45	13	83070	10932.01	3945.83	97947.837	881530.5	**955707.71**
			कुशल	6990	919.88	332.03	8241.91	1	6990	919.88	332.03	8241.909	74177.18	
10	के.का. दौसा	500	अकुशल	6390	840.92	303.53	7534.45	4	25560	3363.70	1214.10	30137.796	271240.2	**345417.34**
			कुशल	6990	919.88	332.03	8241.91	1	6990	919.88	332.03	8241.909	74177.18	